अध्याय 8

प्रशासन एवं वित्त

1.0 प्रशासन

1.1 कर्मचारियों की संख्या

1.2 राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार

2.0 वित्त

3.0 सीएजी की रिपोर्ट से उद्धरण

प्रशासन एवं वित्त

1.0 प्रशासन

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) का गठन जनवरी, 1985 में किया गया था। विभाग में प्रशासन डिवीजन के स्थापना अनुभाग, सामान्य अनुभाग तथा सतर्कता एकक, कार्मिक, (समूह 'क') वैज्ञानिकों के लिए लागू पदोन्नति कार्य पद्धति लचीली अनुपूरक स्कीम (एफसीएस) का क्रियान्वयन, अधिकारियों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति, सर्तकता मामले, प्रशासनिक सुधार तंत्र, सीजीएचएस सुविधाओं से संबंधित कार्य, कर्मचारी वेलफेयर तथा सहयोग इत्यादि से संबंधित मामलों का निपटान किया जाता है।

चूंकि डीएसटी और डीएसआईआर दोनों एक ही परिसर में स्थित है, और सभी समारोह जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्थापना दिवस, प्रौद्योगिकी दिवस, सेवा-निवृत्ति बैठकें, सदभावना दिवस, खेलों, कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम, हिन्दी पखवाड़ा, सर्तकता सप्ताह, योग दिवस आदि दोनों विभागों के सक्रिय सहयोग से एक सामान्य समारोह के रूप में मनाये जाते हैं।

1.1 कर्मचारियों की संख्या

विभाग में स्वायत निकायों नामत: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) तथा परामर्श विकास केंद्र (सीडीसी) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नामत: राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) तथा सैंट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि. (सीईएल) के अलावा 31 मार्च, 2019 तक विभिन्न समूहों में स्टाफ की स्थिति का विवरण नीचे तथा **अनुबंध 12** में दिया गया है।

	सामान्य	अनु.जाति	अनु.ज.जा.	ओबीसी	कुल
समूह 'क' (राजपत्रित)	28•	04	00	04	36•
समूह 'ख' राजपत्रित)	06	03	00	00	09
समूह 'ख' (अराजपत्रित)	08	02	02	03	15
समूह 'ग' (अराजपत्रित)	05	07	01	02	15
कुल	**47•**	**16**	**03**	**09**	**75•**

• संयुक्त सचिव (प्रशा.) के पद को छोड़कर जो कि नोशनल आधार पर है।

1.2 राजभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार

संघ की राजभाषा के संबंध में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संघ के सरकारी उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राजभाषा अनुभाग की स्थापना की गई है। राजभाषा अनुभाग संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में तेजी लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अनुभाग ने विभाग में और अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले स्वायत निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अनुपालन में, इस अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन किया गया और सभी दस्तावेजों, रिपोर्टों, मासिक सारांश आदि को द्विभाषी जारी किया गया।
- विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें समय पर आयोजित की गई जिसमें उपयुक्त निर्णय लिए गए और उसके बाद उचित स्तर पर निगरानी की गई।
- हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक हिंदी मूल्यांकन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को समय पर उपलब्ध कराई गई।
- विभाग के अधीनस्थ स्वायत संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित राजभाषा निरीक्षण किया जाता है। वर्ष के दौरान भी सीएसआईआर की पॉच प्रयोगशालाओं (एनसीएल, पुणे, सीएलआरआई, चैन्नई, आईएचबीटी, पालमपुर, आईआईपी, देहरादून और एएमपीआरआई, भोपाल) तथा एनआरडीसी एवं सीडीसी का राजभाषा निरीक्षण किया गया।

- विभाग के अधिकारियों की आवश्यकता के अनुसार 15.02.2018, 14.06.2018 तथा 18.09.2018 को हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ 10 से 24 सितंबर, 2018 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेता प्रतिभागियों को प्रशंसा-पत्र के साथ-साथ नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

2.0 वित्त

वास्तविक अनुमान 2017-18, बजट अनुमान-2018-19, संशोधित अनुमान 2018-19 (प्रस्तावित), वास्तविक अनुमान 2018-19 (31 मार्च, 2019 तक) तथा बजट अनुमान 2019-20 (डीएसआईआर के लिए प्रस्तावित) देते हुए वितीय सार तालिका-1 पर दिया गया है।

3.0 सीएजी की रिपोर्ट से उद्धरण

सीएजी की रिपोर्ट से उद्धरण **अनुबंध-13** में दिए गए हैं।